स०सं०–16/एम.1–69/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग,ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– शेखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 04/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–301(आ.चि.), दिनांक–14.03.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलो मे पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरांत आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरात स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–748(आ.चि.), दिनांक–19.07.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानो यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयो/आयुष कॉलेज अस्पतालो आदि मे पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक मे सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय मे अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ0चि0) दिनाक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अविध को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की

12/03/25

शर्तें पूरी कर ली गयी है एवं विनियमन किया जाना है उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत हैः—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ0 चद्रकान्त नारायण आयुर्वेदिक चिकित्सा पदा0	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, लोहान	दिनाक 16 03 2024 से 23 07 2024 तक 130 दिन	—	06122425057826		प्रशिक्षण अवधि
2	डॉ० सुरेन्द्र कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ससबहना अरियरी	दिनाक 15 03 2024 से 21 07 2024 तक 129 दिन	—	16112425056141		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1—69/2025 — 403 (अा. चि.) **पटना, दिनांक—** 12.3.2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सिविल सर्जन, शेखपुरा/सबधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/सबधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/26

सरकार के अवर सचिव